(10)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

थम अपील संख्या 89 / 2021
श कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल, रूघावाली जोहडी के पास, ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.06.2021 को ऑनलाईन इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 89 / 2021 पर दिनांक 10.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1705—06 दिनांक 10.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2021 / 218 दिनांक 01.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ मे श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) झुंझुनूं का पत्रांक एफ37(7)(8)विविध / चुनाव / 2011 / 488 दिनांक 27.04.2021 को इस कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ जिसके सन्दर्भ मे प्रार्थी को इस इस कार्यालय की चुनाव शाखा की ओर से पत्रांक 498 दिनांक 11.05.2021 के द्वारा सूचित किया गया कि आप चाही गई सूचना का अवलोकन कर पृष्ठांकित कर सूचना कार्यालय मे कार्यालय समय पर उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें। श्रीमान्जी उक्त सूचना के कम मे प्रार्थी कार्यालय मे दिनांक 16.06.2021 को उपस्थित हुआ। प्रार्थी को (1951 से 1955 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया को छोडकर) शेष सूचना उपलब्ध करा दी गई है। शेष रही सूचना (1951 से 1965 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया) के कम मे निवेदन है कि कार्यालय मे सूचना बहुत पुरानी होने से कार्यालय रिकार्ड मे सूचना तलाश की जा रही है। रिकार्ड मे उपलब्ध होते ही प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक/

यू0अ0अ0 / 2021 / 218 दिनांक 01.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ मे श्रीमान् जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) झुंझुनूं का पत्रांक एफ37(7)(8)विविध / चुनाव / 2011 / 488 दिनांक 27.04.2021 को उनके कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ जिसके सन्दर्भ मे प्रार्थी को उनके कार्यालय की चुनाव शाखा की ओर से पत्रांक 498 दिनांक 11.05.2021 के द्वारा सूचित किया गया कि आप चाही गई सूचना का अवलोकन कर पृष्ठांकित कर सूचना कार्यालय मे कार्यालय समय पर उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें। श्रीमान्जी उक्त सूचना के क्रम मे प्रार्थी कार्यालय मे दिनांक 16.06.2021 को उपस्थित हुआ। प्रार्थी को (1951 से 1955 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया को छोडकर) शेष सूचना उपलब्ध करा दी गई है। शेष रही सूचना (1951 से 1965 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया) के क्रम मे निवेदन है कि कार्यालय मे सूचना बहुत पुरानी होने से कार्यालय रिकार्ड मे सूचना तलाश की जा रही है। रिकार्ड मे उपलब्ध होते ही प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को शेष रही सूचना अविलम्ब 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान) 05/07/21

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं